

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, शिलांग



NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, SHILLONG

11808/AA/NIFT SHL/SDAC (Part - 7)/2016 (Par-10)

Dated 20th December, 2022

Circular

This is for general information and compliance to all that as per the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (No. 14 of 2013) provides protection against sexual harassment of women at the workplace and for prevention of redressal of complaints of sexual harassment and matters connected therewith or incidental thereto.

As per the Chapter II of the said Act, every employer of a workplace by an order in writing, has to constitute a committee to be known as the "Internal Complaints Committee".

As per provision given in the relevant section of the Act, the Internal Complaints Committee shall inter-alia consist of a Presiding Officer and not less than two members from amongst employees and one member from non-government organization, provided that at least one-half of a total member so nominated shall be women.

The Internal Complaint Committee members are:

Internal Members:

- 1. Ms. Rimi Das, Associate Professor & CC:FD-- Presiding Officer.
- 2. Ms. Phiralynda Marbaniang, Assistant Professor & SDAC -Convenor.
- 3. Mr. S. Basu, Dy. Director (F&A) & Joint Director (I/c).
- 4. Mr. Amardeep Rabha, Associate Professor.
- 5. Ms. Meaidibahun Blah, Assistant Professor & CC:FC.

External Member:

1. Ms. Iamonlang Mawthoh Syiem, Chairperson, Meghalaya Commission for protection of Child rights.

This issues with the approval of Competent Authority.

संयुक्त निदेशक (आई/सी)
Joint Director (I/c)

Copy for information and necessary action:

- 1. Director for information please.
- 2. All CC's & Department Assistant for wider circulation to all students.
- 3. All Employees of NIFT Shillong.
- 4. Security Supervisor & Housekeeping Supervisor for information to all concerned.
- 5. Webmaster/Computer Engineer for uploading the same in the NIFT microsite.

A Premier Institute of Design, Management & Technology Set up under an Act of Parliament



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, शिलांग



NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, SHILLONG

11808/एए/निफ्ट एसएचएल/एसडीएसी (पार्ट-7)/2016 (पैरा-10)

दिनांक 20 थमर, 2022

परिपन्न

यह सामान्य जानकारी और सभी के अनुपालन के लिए है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीइन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 14) के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीइन से सुरक्षा प्रदान करता है और यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण और उससे जुड़े या उसके आन्षंगिक मामले।

उक्त अधिनियम के अध्याय ॥ के अन्सार, कार्यस्थल के प्रत्येक नियोक्ता को लिखित आदेश द्वारा "आंतरिक शिकायत समिति" के रूप में जानी जाने वाली एक समिति का गठन करना होगा।

अधिनियम की संबंधित धारा में दिए गए प्रावधान के अन्सार, आंतरिक शिकायत समिति में अन्य बातों के साथ-साथ एक पीठासीन अधिकारी और कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य और गैर-सरकारी संगठन से एक सदस्य शामिल होगा, बशर्ते कम से कम आधा इस प्रकार मनोनीत कुल सदस्यों में महिलाएं होंगी।

आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य हैं: आंतरिक सदस्य:

- 1. सुश्री रिमी दास, एसोसिएट प्रोफेसर और सीसी: एफडी-- पीठासीन अधिकारी।
- 2. स्श्री फ़िरलिंडा मारबानियांग, सहायक प्रोफेसर और एसडीएसी-संयोजक।
- 3. श्री एस. बसु, उप. निदेशक (एफ एंड ए) और संयुक्त निदेशक (प्रभारी)
- 4. श्री अमरदीप राभा, एसोसिएट प्रोफेसर
- सुश्री मीदीबाह्न ब्लाह, सहायक प्रोफेसर और सीसी: एफसी।

बाहरी सदस्य:

1. सुश्री इमोनलैंग मावथोह स्यीम, अध्यक्ष, मेघालय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

921 नि 20.12.2022 संयुक्त निदेशक (आई/सी)

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति:

- 1. कृपया जानकारी के लिए निदेशक।
- 2. सभी छात्रों को व्यापक प्रसार के लिए सभी सीसी और विभाग सहायक।
- 3. निफ्ट शिलांग के सभी कर्मचारी।
- 4. स्रक्षा पर्यवेक्षक और हाउसकीपिंग पर्यवेक्षक सभी संबंधितों को जानकारी के लिए।
- 5. वेबमास्टर/कंप्यूटर इंजीनियर को निफ्ट माइक्रोसाइट में अपलोड करने के लिए।

A Premier Institute of Design, Management & Technology Set up under an Act of Parliament